भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1988
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम

1988# श्री शिवेश कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गये हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जब्त किये गये मादक पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान समुद्री मार्गों के माध्यम से तस्करी किए गए मादक पदार्थों की मात्रा कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) दिनांक 26.06.2026 को जारी किया गया है, जो विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा 'समग्र-सरकार-दृष्टिकोण' और 'समग्र-समाज-दृष्टिकोण' से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक स्पष्ट प्राथमिकताओं और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष का रोड मैप निर्धारित करता है।

(ii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियां (डीएलईए) और राज्य पुलिस, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत प्रवर्तन गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की जब्ती, मामलों का पंजीकरण, गिरफ्तारी, जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान करने, अवैध खेती को नष्ट करने, वित्तीय जांच तथा स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत निवारक (प्रिवेंटिव) डिटेंशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

(iii) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की स्थापना की गई है।

(iv) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) पोर्टल विकसित किया है। यह मादक पदार्थों के विधि प्रवर्तन से संबंधित जानकारी के लिए एक ऑल-इन-वन पोर्टल है। एनकॉर्ड, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नार्को-अपराधियों के आंकड़े, कानूनी जानकारी, राज्यों द्वारा की गई अनुकरणीय पहल आदि जैसे विषयों को एनकॉर्ड पोर्टल पर शामिल किया गया है।

(v) नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित मादक पदार्थों के बड़े और महत्वपूर्ण मामलों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है। अब तक, केंद्रीय स्तर पर 11 और राज्य स्तर पर 75 जेसीसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(vi) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से अनुरोध किया गया है कि वे बीट कांस्टेबलों, फील्ड अधिकारियों और एसएचओ को रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) और विशेष रूप से मेफेड्रोन तथा एम्फेटामाइन-टाइप स्टिम्युलेंट्स (एटीएस) के गुप्त रूप से किए जाने वाले उत्पादन से संबंधित उभरते खतरों के बारे में संवेदनशील बनाएं।

(vii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाने हेतु अन्य एजेंसियों, जैसे कि आबकारी, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राज्य एएनटीएफ आदि के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।

(viii) विभिन्न मंचों जैसे कि एनकॉर्ड, जेसीसी, क्षेत्रीय सम्मेलन में वित्तीय जांच और पीआईटीएनडीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से बल दिया जाता है, ताकि संगठित सिंथेटिक ड्रग तस्करी के नेटवर्कों को खत्म तथा कमजोर किया जा सके।

(ix) अपराध से हुई कमाई के संबंध में वित्तीय जांच करने, व्यवस्थित तरीके से पहचान की सुविधा देने, पता लगाने और उसे कुर्क करने को सुगम बनाने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(x) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए, एनसीबी कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एनसीबी नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका-ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस-डीईए) के सहयोग से गुप्त प्रयोगशालाओं और प्रीकर्सर केमिकल डायवर्जन की जांच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं।

(xi) भारत म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) जैसे देशों के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर महानिदेशक (डीजी) स्तरीय/द्विपक्षीय वार्ता नियमित रूप से आयोजित करता है।

(xii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से मादक पदार्थों के नियंत्रण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2024 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-2024 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2021-2025 के दौरान समुद्री मार्गों के माध्यम से हुई तस्करी में जब्त किए गए मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों का ब्योरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1988, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-।

वर्ष 2020-2021 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्योरा

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2020			2021		
		किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	246223.868	0	0	268671.105	0	0
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	853554.414	0	0	796080.805	0	0
3	कोकेन (किग्रा. में)	493.009	0	0	2220.490	0	0
4	मन:प्रभावी पदार्थ	5357.801	0	0	1457.439	0	0
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	82111.512	56069140	139495.917	51299.887	44578576	682129.967
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	17.612	0	0	0.000	0	0
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-
7	खसखस के पौधे	-	-	-	-	-	-
8	अन्य मादक पदार्थ	129009.023	3185911	964736.080	17415.976	3834111	213496.370
	कुल	1316767.239	59255051	1104231.997	1137145.702	48412687	895626.337

स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1988, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-I(जारी)

वर्ष 2022-2024 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्योरा

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2022			2023			2024		
		किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	संख्या	लीटर
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	337169.905	0	0	408104.285	0	0	369695.842	0	0
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	1716700.049	0	0	546767.616	0	0	537675.049	0	3859.221
3	कोकेन (किग्रा. में)	71.829	0	0	112.533	0	0	1317.380	0	0
4	मन:प्रभावी पदार्थ	3042.983	0	0	6084.795	0	0	7101.037	1821	0
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	16249.711	17189558	4561206.774	12847.491	19653370	1946256.961	4589.101	40487768	854251.987
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0	186.407	0	0	61.059	0	0
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	27384433	0
7	खसखस के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	478405	0
8	अन्य मादक पदार्थ	7341.059	301413	79542.325	61436.962	1251916	23322.453	22131.639	24300	7229.925
	कुल	2080575.536	17490971	4640749.099	1035540.089	20905286	1969579.414	942571.125	68376727	865341.133

स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1988, दिनांक 05.08.2026

अनुलग्नक-II

वर्ष 2021-2025 के दौरान समुद्री मार्गों के माध्यम से हुई तस्करी में जब्त किए गए मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों का ब्योरा

मादक पदार्थ (किग्रा./संख्या में)	2021	2022	2023	2024	2025
एम्फेटामाइन	0	221.1	0	1.165	305.894
मेथाम्फेटामाइन	0	198.1	2824	6818.365	0
एटीएस और केटामाइन का मिश्रण	0	0	0	0	0
चरस	0	528.7	0	3187	1.335
कोकीन	303.403	111.755	85.006	0	0
हेरोइन	4242.36	1789.14	0	86.6	0
केटामिन	0	0	0	0	0
मॉर्फिन	0	0	0	0	0
गांजा	0	422.04	0	0	53.62
हशीश तेल	0	1	0	0	29.954
कुल (किग्रा. में)	4545.763	3271.834	2909.006	10564.08	390.803
गोलियां (संख्या में)	0	0	0	94,19,000	0
इंजेक्शन (संख्या में)	0	0	0	1,000	0

स्रोत: एनसीबी
